रजिस्ट्री सं० डी/डी—73

Registered. No. D(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1976/माघ 11, 1897

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1976/MAGHA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम

• जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 12th January, 1976

ERRATUM

G.S.R. 127.—In the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and *Administrative Reforms) G.S.R. No. 2489, dated the 27th* September, 1975, published at page 2805 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i),

(i) in line 4, for 'relating' read 'regulating';

(ii) in line 9, for "be specified" read "be as specified";

(iii) below the Schedule, for '13/4/75-AVD.II, read '213/4/75-AVD.II'.

[No. 213/4/75-AVD.II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 128. केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पृक्त राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) संशोधन नियम, 1976 है।

2. अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) तृतीय संशोधन नियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संशोधन नियम कहा गया है) द्वारा अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 में किए गए संशोधन 1968 की जून के पन्द्रहवें दिन को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और तद्नुसार, उक्त संशोधन नियमों के नियम 1 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा और सदैव से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) ये 1968 की जून के पन्द्रहवें दिन को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।"

स्पष्टीकरण ज्ञापन

तकनीकी तौर पर अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को पेंशन के प्रयोजनों के लिये उच्चतर स्थानापन्न वेतन की गणना में लेने की प्रसुविधा 7 सितम्बर, 1974 से, अर्थात् उस तारीख से जब अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाएं) तृतीय संशोधन नियम, 1974 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) प्रवृत्त हुए हैं, प्राप्त है। किन्तु साम्या की दृष्टि से और जैसा कि प्रारम्भिक था यह

134GI/75—1

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion, failing which by transfer on deputation and failing both, by direct recruitment.	Promotion : Directors with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Suitable officers of the All India Services or of the Central Services, Class I or of the State Governments, eligible for appointment as Deputy Secretary to the Government of India. Note : The period of deputation shall ordinarily not exceed 4 years.	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 7. T.A. III/1/63(Tourism)]
BANU RAM AGGARWAL, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर 1975

सा० का० नि० 146.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर और ग्राम योजना संगठन (ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूगोल) भर्ती नियम, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम नगर और ग्राम योजना संगठन ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूगोल) भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 नगर और ग्राम योजना संगठन, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूगोल भर्ती नियम, 1975 के नियम में "लेखबद्ध करके" शब्दों के पश्चात् "तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 12018/3/74-यू०डी० 2/डी-III ख]

के० के० सक्सेना, अनुभागाधिकारी (विशेष)

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 23rd December, 1975

G.S.R. 146.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Town and Country Planning Organisation, Senior Research Officer (Geography) Recruitment Rules 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called Town and Country Planning Organisation, Senior Research Officer (Geography) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Rule 5 of the Town and Country Planning Organisation, Senior Research Officer (Geography) Recruitment Rules, 1975, after the words "in writing", the words "and in consultation with the Union Public Service Commission" shall be inserted.

[No. A. 12018/3/74-UD. II/D. III.B]

K. K. SAXENA, Section Officer (Spl.)

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर 1975

सा० का० नि० 147.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आकाशवाणी की सिविल निर्माण स्कन्ध में श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(क) इन नियमों को आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कन्ध (श्रेणी I तथा II पद) भर्ती नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इस नियमावली के साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 3, 4 और 5 में दिये अनुसार होंगे।

4. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें, आदि.—पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 6 से 14 तक में दिये अनुसार होंगे।

5. जिस पद के लिये इंजीनियरी/आर्कीटेक्चर की डिग्री (अथवा समकक्ष अर्हता) न्यूनतम अर्हता हो, उस पर नियुक्त व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी रक्षा सेवा अथवा भारत की रक्षा से संबंधित पद पर प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई हो, सहित कम-से-कम चार वर्ष की अवधि के लिये काम करना होगा।

परन्तु ऐसे व्यक्ति को—

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष समाप्त होने के बाद ऊपरि उल्लिखित अनुसार सेवा करनी आवश्यक नहीं होगी;

(ख) 45 वर्ष की आयु का हो जाने के बाद सामान्यतया ऊपरि उल्लिखित अनुसार सेवा करनी आवश्यक नहीं होगी।

6. अनर्हतायें:—

(क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो,

वह किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा किये जाने के अन्य कारण हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

7. छूट देने का अधिकार.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्ति को इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

8. अपवाद.—इन नियमों की किसी बात का, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करनी अपेक्षित है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिये आयु सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिये शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अपर मुख्य इंजीनियर (सिविल निर्माण)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-I, राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	1300-100-2000 रुपये—संशोधित 2000-125/2-2250 रुपये	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हतायें पदोन्नत व्यक्ति के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किये जाने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है?	किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होता है
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	पदोन्नति : वे सीनियर आर्किटेक्ट तथा अधीक्षक इंजीनियर जिनको अपने-अपने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार के सीनियर आर्किटेक्ट/अधीक्षक इन्जीनियर के दर्जे के वे अधिकारी जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	श्रेणी-I विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	सीनियर आर्किटेक्ट	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी–I, राजपत्रित, अलिपिक-वर्गीय ।	1300-60-1600-100-1800 रुपये—संशोधित 1500-60-1800-100-2000 रुपये ।	प्रवरण	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
3.	आर्किटेक्ट	4	सदैव	700-40-1100-50/2-1250 रुपये—संशोधित 1100-50-1600 रुपये	सवैध	35 वर्ष से कम (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकेगी) ।	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की डिग्री या समकक्ष परीक्षा पास । (2) व्यवसाय में 5 वर्ष का अनुभव । (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकेगा ।)

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ।	पदोन्नति : वे आर्किटेक्ट जिसकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 7 वर्ष की सेवा हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार से सीनियर आर्किटेक्ट के दर्जे के अधिकारी या आर्किटेक्ट के अधिकारी जिनकी ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	श्रेणी-I विभागीय पदोन्नति समिति ।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है ।
नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति : वे सहायक आर्किटेक्ट जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार से आर्किटेक्ट के दर्जे के अधिकारी या उप-आर्किटेक्ट (श्रेणी-I, 700-1300 रुपये) के दर्जे के वे अधिकारी जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो या सहायक आर्किटेक्ट (श्रेणी II, 650-1200 रु०) के दर्जे के वे अधिकारी जिनकी ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	श्रेणी-I विभागीय पदोन्नति समिति ।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
4. अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-1 राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)	1300-60-1600-100-1800 रुपये संशोधित 1500-60-1800-100-2000 रुपये	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	
5. ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल-1) एक इंजीनियरी अधिकारी तथा तीन निर्माण सर्वेक्षकों सहित।	1	तदैव	700-40-1100-50/2 1250 रुपये संशोधित 1100-50-1600 रुपये	तदैव	35 वर्ष से कम (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकेगी)	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी की उपयुक्त शाखा में डिग्री या समकक्ष परीक्षा पास। (2) व्यवसाय में 5 वर्ष का अनुभव। (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकेगा)।	

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	पदोन्नति : वे ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 7 वर्ष की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार से अधीक्षक इंजीनियर के वर्ग के अधिकारी, या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के वर्ग के वे अधिकारी जिनकी ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	श्रेणी 1 विभागीय पदोन्नति समिति।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।
नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, उसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : वे सहायक इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल), सहायक निर्माण सर्वेक्षक (सिविल/इलैक्ट्रिकल) और अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) के निजी सहायक जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार से समान पदों पर काम करने वाले अधिकारी अथवा सहायक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के वर्ग के वे अधिकारी जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो अथवा सहायक इंजीनियर के वर्ग के वे अधिकारी जिनकी ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	सहायक इंजीनियर (सिविल)-24 सहायक निर्माण सर्वेक्षक (सिविल)-6 अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) के निजी सहायक-2	32	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-2 राजपत्रित अलिपिक वर्गीय।	350-25-500-30-590-30-830-35-900 रुपए। (अधीक्षक इंजीनियर के निजी सहायक का प्रारंभ में वेतन) 425 रु० प्रतिमास संशोधित 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000 द०-रो०-40-1200 रुपए।	प्रवरण	आयु सीमा : प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती की दशा में। जिस वर्ष में परीक्षा हो उस वर्ष के अगस्त के पहले दिन उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष की हो गई हो और 25 वर्ष नहीं हुई हो, किन्तु वर्ष 1975 में होने वाली परीक्षा के लिए उपरि आयु सीमा 30 वर्ष होगी; और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों जिनको सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में अधिसूचित किया जाए, से संबंधित व्यक्तियों के मामले में उपरि उल्लिखित उपरि आयु सीमा में प्रत्येक श्रेणी के बारे में अधिसूचित सीमा तक और शर्तों के अनुसार छूट दी जा सकेगी।	अर्हताएं, आदि : उम्मीदवार के पास केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निर्मित किसी विश्वविद्यालय या अन्य उन शैक्षिक संस्थानों जो संसद के कानून द्वारा स्थापित किए गए हों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए गए हों या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री हो, या उसके पास वह अर्हता हो जो परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो।

9	10	11	12	13	14
6. नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, और दोनों न हो सकने पर आयोग द्वारा ली जाने वाली इंजीनियरी सेवाएं परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत आयोग द्वारा ली जाने वाली इंजीनियरी सेवाएं परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : वे जूनियर इंजीनियर जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार से समान पदों पर काम करने वाले अधिकारी अथवा वे जूनियर इंजीनियर जिनकी 8 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	श्रेणी-2 विभागीय पदोन्नति समिति।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)-6 सहायक निर्माण सर्वेक्षक (इलेक्ट्रिकल)-1	7	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-2 राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय।	350-25-500-30-590-30-830-35-900 रुपए संशोधित 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपए।	प्रवरण	उपर्युक्त व्यवस्था इन पदों अर्थात् क्रम संख्या 7 के बारे में भी लागू होगी।	
8.	सहायक आर्किटैक्ट	6	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-3 राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	350-25-500-30-590-द०रो० 30-800-द०रो०-30-830-35-900 रुपए। संशोधित 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपए।	प्रवरण	30 वर्ष से कम (सरकारी कर्मचारियों के लिए) छूट दी जा सकेगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की आर्किटैक्ट की डिग्री अथवा समकक्ष परीक्षा पास। (2) व्यवसाय में 2 वर्ष का अनुभव। (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकेगा)।

9	10	11	12	13	14
7. नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर आयोग द्वारा ली जाने वाली इंजीनियरी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और आयोग द्वारा ली जाने वाली इंजीनियरी सेवाएं परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।।	पदोन्नति : वे जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार से समान पदों पर काम करने वाले अधिकारी अथवा वे जूनियर इंजीनियर जिनकी 8 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	श्रेणी-2 विभागीय पदोन्नति समिति।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।
8. नहीं	2 वर्ष	66⅔ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, और 33⅓ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति :) वे ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1 जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त 8 वर्ष की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार से समान पदों पर काम करने वाले अधिकारी अथवा वे आर्किटैक्चरल सहायक जिनकी ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	श्रेणी-2 विभागीय पदोन्नति समिति।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से, छूट) विनियम 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	मुख्य इंजीनियर (सिविल) वित्तीय अधिकारी	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-2 राजपत्रित, लिपिक वर्गीय।	रुपए 590-30-630-35-900 संशोधित 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
9. लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : किसी भी संगठित लेखा विभाग अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग, भारतीय रेलवे लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग आदि से लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी के दर्जे के अधिकारी या के अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार जिनकी उस रूप में 5 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है

[फाइल संख्या 301/9/72-बी० (डी)]
राम किशोर गुप्त, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 9th December, 1975

G.S.R. **147**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to class I and II posts in the Civil Construction Wing of All India Radio in the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio, Civil Construction Wing (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1975.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specefied in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay:—The Number and classification of the posts and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3, 4 and 5 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment of posts, age limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns 6 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Any person appointed to the post for which a degree in Engineering/Architecture (or equivalent qualification) is the minimum qualification shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any :

Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty-five years.

6. Disqualifications—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts ; provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Additional Chief Engineer (Civil Construction)	1	General Central Service Class I Gazetted, Non Ministerial.	Rs. 1800-100-2000 revised to Rs. 2000-125/2-2250.	Selection	Not applicable	Not applicable
2.	Senior Architect	2	-do-	Rs. 1300-60-1600-100-1800 revised to Rs. 1500-60-1800-100-2000.	-do-	-do-	-do-

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
1. Not applicable	2 years	By promotion, failing which by transfer on deputation.	Promotion: Senior Architect and Superintending Engineer with 5 years' service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers of the rank of Senior Architects/Superintending Engineers with 5 years' service in the grade from the Central/State Government. (Period of deputation ordinarily not exceeding 5 years).	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
2. Not applicable	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion: Architect with 7 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers of the rank of Senior Architect or Architect with 7 years' service in the grade under the Central/State Governments. (Period of deputation ordinarily not exceeding 4 years).	-do-	-do-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Architect	4	-do-	Rs. 700-40-1100-50/2-1250 revised to Rs. 1100-50-1600.	-do-	Below 35 Years. (Relaxable for Government Servants).	Essential : (i) Degree in Architecture of a recognised University or equivalent. (ii) 5 years experience in the profession. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).

	9	10	11	12	13	14
3.	No	2 years	50% by promotion, failing which by transfer on deputation and 50% by direct recruitment.	Promotion: Assistant Architect with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation: Officers of the rank of Architect, or Deputy Architect (Class I Rs. 700-1300) with 5 years' service in the grade or Assistant Architect (Class II Rs. 650-1200) with 8 years' service in the grade under the Central/State Government. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class I Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Superintending Engineer (Civil).	2	General Central Service Class I Gazetted, (Non-Ministerial).	Rs. 1300-60-1600-100-1800 revised to Rs. 1500-60-1800-100-2000.	Selection	Not applicable	Not applicable
5.	Executive Engineer (Civil/Electrical-I) (including 1 Engineering Officer and 3 Surveyors of Works.	11	-do-	Rs. 740-1100-50/2-1250 revised to Rs. 1100-50-1600.	-do-	Below 35 years. (Relaxable for Government servants.)	Essential: (i) Degree in the appropriate branch of Engineering of a recognised University equivalent. (ii) 5 years' experience in the profession. (Qualifications relaxable at Commissions' discretion in case of candidates otherwise well qualified).

9	10	11	12	13	14
Not Applicable	2 years	By promotion, failing which by transfer on deputation.	Promotion : Executive Engineer with 7 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers of the rank of Superintending Engineer, or Executive Engineer with 7 years' service in the grade under the Central/State Government. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 4 years).	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
No	2 years	50% by promotion, failing which by transfer on deputation; and 50% by direct recruitment.	Promotion : Assistant Engineer (Civil/Electrical), Assistant Surveyor of Works (Civil/Electrical) and Personal Assisant to Superintending Engineer (Civil) with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers holding analogous posts or officers of the rank of Assistant Executive Engineer with 5 years' service in the grade or officers of the rank of Assistant Engineer with 8 years' service in the grade under the Central/State Government. (Period of deputation—Ordinarily not exceeding 3 years).	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Assistant Engineer (Civil)—24 Assistant Surveyor of Works (Civil)—6 Personal Assistant to Superintendent Engineer Civil—2	32	General Central Service Class II, Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 350-25-500-30-590-30-830-35-900. (for Personal Assistant to Superintending Engineer with initial start of Rs. 425/- P.M.) revised to Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Age limit : In the case of recruitment through competitive examination; A candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the first day of August of the year in which the examination is held; Provided that for the examination to be held in the year 1975, the upper age limit shall be 30 years provided further that the upper age limit mentioned above shall be relaxed in respect of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and such other categories of persons as may, from time to time be notified in this behalf by the Government to the extent and subject to the conditions notified in respect of each category.	Educational qualifications etc. : A candidate must hold a degree in Engineering from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or from a foreign University approved by Government from time to time, or possess a qualification which has been recognised by Government for the purpose of admission to the examination.
7.	Assistant Engineer (Electrical)—6 Assistant Surveyor of Works (Electrical)—1.	7.	Do.	Rs. 350-25-500-30-590-30-830-35-900 revised to Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	The above provision will also apply in respect of these posts i.e. serial No. 7.	

9	10	11	12	13	14
No	2 years	50% by promotion, failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment through the Engineering Services Examination held by the Commission and 50% by the direct recruitment through the Engineering Services Examination held by the Commission.	Promotion : Junior Engineer with 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers holding analogous posts, or Junior Engineer with 8 years' service under the Central/State Government. (Period of deputation—Ordinarily not exceeding 3 years).	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
No	2 years	Do.	Promotion : Junior Engineer (Electrical) with 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers holding analogous posts, or Junior Engineer with 8 years' service under the Central/State Government. (Period of deputation—Ordinarily not exceeding 3 years).	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Assistant Architect.	6	General Central Service Class II, Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900 revised to Rs. 650-30-740-25-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Below 30 years (Relaxable for Government servants).	Essential : (i) Degree in Architecture of a recognised University or equivalent (ii) 2 years' experience in the profession. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.)
9.	Financial Officer to Chief Engineer (Civil).	1	General Central Service Class II, Gazetted, Ministerial.	Rs. 590-30-35-900 revised to Rs. 840-40-1000-EB-40-1200.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

9	10	11	12	13	14
No	2 years	66⅔% by promotion, failing which by transfer on deputation, and 33⅓% by direct recruitment.	Promotion : Draftsman Grade I with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers holding analogous posts, or Architecutral Assistants with 8 years service in the grade under the Central/State Government. (Period of deputation—Ordinarily not exceeding 3 years).	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not Applicable	Not Applicable	By transfer on deputation.	Transfer on deputation : Officers of the rank of Accounts/Audit Officer, or Subordinate Accounts Service, Accountants with 5 years service as such from any of the organised Accounts Departments, namely, Indian Audit and Accounts Department, Indian Railways Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, etc. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Not Applicable	Do.

[No. 301/9/72-BD 1]
R. K. GUPTA, Under Secy.

रेल मंत्रालय
(रेल बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 148.—केन्द्रीय सरकार भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल रेड टैरिफ नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम रेल रेड टैरिफ (तृतीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल रेड टैरिफ नियम, 1960 में, अध्याय III, सारणी III पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव में, "वर्ग क द्रव, जिनकी वाष्प का प्रज्वलन बिन्दु 24.4 सेन्टीग्रेड से कम है" मुख्य शीर्षक के नीचे, "पेट्रोलियम और अन्य हाइड्रोकार्बन तेल, खतरनाक" उप-शीर्षक के नीचे, अर्थात् :—

(i) 'हल्के तरल' मद के नीचे,— 'हल्के तेल' मद अन्तःस्थापित की जाएगी।

(ii) 'विलायक तेल' मद की नीचे, 'स्ट्रेट रन नेप्था' मद अन्तः स्थापित की जाएगी।}

[सं० 74 टी० जी० 4/21/6]
ए० एम० गुप्त, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

New Delhi, the 7th January, 1976

G.S.R. 148.—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the